

clotted

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता० से 12-2-14 तक

जिला सं० 38 सन् 20 13-14.

केस का प्रकार CNT Act की धारा 46 के तहत ST की भूमि विक्री हेतु परमिशन

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
1	2	3										
<p>24-12-2013</p>	<p>आवेदक विक्रेता दशरथ सिंह पिता रघु कामल सिंह जाति शरवार ग्राम सौरा पो० पिपरी कुला धाना नगर उन्तारी ताल भोक्काम ग्राम पो० चपरी धाना भवनाथपुर जिला गढ़वा राज्य भारत के आवेदन पत्र देकर अपनी निम्नांकित भूमि की विक्री के लिए इच्छावृत्ति देनी पति श्री सुरारी सिंह जाति शरवार ग्राम अजोरा पो० चपरी धाना पो० अंचल भवनाथपुर जिला गढ़वा राज्य भारत के हाथों भूमि विक्री करने की अनुमति की मांग की है।</p> <p><u>भूमि का विवरण</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम+धाना</th> <th>शवाता</th> <th>प्लॉट</th> <th>रकबा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चपरी</td> <td>77</td> <td>738</td> <td>0-07 1/2 डी</td> <td>उत्तर-नीज विक्रेता 60- टालकेता अनिता देवी 300 विक्रेता द्वारा 125 डी चौड़ा ग्राम रस्ता प० शमवादा सिंह</td> </tr> </tbody> </table> <p>आम ईस्तदार निर्गत करें एवं संबंधित अंचल अधिकारी से जॉच प्रतिकेदन की मांग दिनांक 24-12-2013 तक मांग करें।</p>	ग्राम+धाना	शवाता	प्लॉट	रकबा	चौहद्दी	चपरी	77	738	0-07 1/2 डी	उत्तर-नीज विक्रेता 60- टालकेता अनिता देवी 300 विक्रेता द्वारा 125 डी चौड़ा ग्राम रस्ता प० शमवादा सिंह	<p>उप आवेदन पत्रक नगर उन्तारी।</p>
ग्राम+धाना	शवाता	प्लॉट	रकबा	चौहद्दी								
चपरी	77	738	0-07 1/2 डी	उत्तर-नीज विक्रेता 60- टालकेता अनिता देवी 300 विक्रेता द्वारा 125 डी चौड़ा ग्राम रस्ता प० शमवादा सिंह								

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

1

2

3

12-3-14

अभिचेरव उपस्थापित। अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के पत्रांक 18 दिनांक 12-2-14 से जांच प्रतिवेदन एवं इनाम ईस्तहार का तामिला प्रति विधिवत प्रकाशन के पश्चात पत्र हुआ, जिसका अवलोकन किया, अवलोकन से विदित होता है कि केता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना एवं एक ही जाति खरवार (ST) के हैं। प्रस्तावित भूमि का जमाबंदीदार रैगत से विक्रेता का पिता-पुत्र का सम्बन्ध है। प्रस्तावित भूमि विक्री के पश्चात आवेदक विक्रेता को शेष 8.14 1/2 एकड़ बचता है। आवेदक अपनी भूमि की बिक्री महाजनी कर जमा करने हेतु विक्री विक्री करना चाहते हैं। आवेदक को दिया गया ध्यान पत्रक दिया गया है, जिस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित भूमि विक्री के पश्चात से भूमिहीन नहीं हो रहा है। प्रस्तावित भूमि की विक्री करने हेतु अंचल-अधिकारी द्वारा अनुमति दी है।

अतः इनके अनुमति के आलोक में आवेदक आवेदक दशरथ सिंह पिता कोमल सिंह राव भोकाम ग्राम + पो. चपरी थाना भवनाथपुर के निवासी भूमि की विक्री केता श्रीमति ~~अनिता देवी~~ ^{सुनीता देवी} विक्रेता कुमार सिंह सह अधोल पो. चपरी थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा के यहाँ विक्री करने की स्वीकृत की जाती है।

भूमि का विवरण

ग्राम + थाना सं.	खता	खेत	रकबा	चौकड़ी
चपरी 51	77	738	0-07 1/2	उत्तर-हाल केता, सुन्दर देवी देवी दो-बेडा नाथ सिंह दो-विक्रेता द्वारा 12-3-14 कोडा जमा रक्का दो-सरीना देवी
			0-07 1/2	

आवेदक एवं अवर निबंध पदाधिकारी, नगर उन्तरी को सूचित करें।

लोखापित/संशोधित
उप समाहती, भूक
नगर उन्तरी

12/3/14
उप समाहती भूक
नगर उन्तरी